

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम

1 नागौर

प्रार्थी




बनाम

अप्रार्थीगण

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड,
19-ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड,
जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी विश्वनाथ प्रताप
सिंह पोर्टफोलिया कलक्टर मैनेजर
(अधिकृत अधिकारी) ए.यू. स्मॉल
फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए
झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड,
जयपुर 302001

1. निरंजन कालू सिंह मेड़तिया पुत्र कालू सिंह
निवासी दरोगा का बास बूटाटी तहसील
डेगाना, जिला नागौर

किस्म मुकदमा -सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या-63 सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
24.02.23	<p>वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 1-3-23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला मजिस्ट्रेट, नागौर </p> <p>वकील प्रार्थी श्री विक्रम जोशी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र को Not Press करते हुए कथन किया कि वह इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को Not Press करने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पीयूष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट, नागौर </p>	<p>13/23</p> <p style="text-align: right;">  जिला मजिस्ट्रेट, नागौर </p>